संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./F-184/2020/ 1373 भोपाल, दिनांक 13/08/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– अनलॉक–2 की प्रक्रिया में दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में।

संदर्भ :–
1. पत्र क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/403 भोपाल,दिनांक 10.04.2020
2. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/753, भोपाल, दिनांक 05.06.2020
3. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/918, भोपाल,दिनांक 23.06.2020
4. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/983, भोपाल,दिनांक 29.06.2020
5. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/790, भोपाल, दिनांक 08.06.2020
6. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/758, भोपाल, दिनांक 06.06.2020
7. आदेश–क्रमांक/एफ/IDSP/2020/सत्रह/मेडि–1045 दिनांक 03.07.2020
8. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/1100, भोपाल, दिनांक 08.07.2020
9. पत्र क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/1103, भोपाल दिनांक 08.07.2020
10. पत्र क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1119 भोपाल,दिनांक 10.07.2020

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों में लेख है कि कोविड–19 के संचरण को रोकने हेतु शासन द्वारा उपरोक्त पत्र एवं दिशा–निर्देश जारी किए गये है। जिनमें में कुछ विशेष बिन्दु निम्न प्रकार है:–

- कार्य स्थल में कोविड–19 के संचरण रोकने हेतु पुनरक्षित दिशा–निर्देशों का पालन किया जावे।
- कार्य स्थल पर प्रवेश पूर्व इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हेंड सेनेटाईजर से हाथों को विसंक्रमित करें, थर्मल स्क्रीनर का उपयोग किया जावे और फेस मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जावे।
- सामाजिक समारोह जैसे:– शादी समारोह, शव दाह, शोक सभा आदि के आयोजन कंटेंमेंट क्षेत्र में न हो उसमें 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हो। आयोजन खुले हवादार कमरे में किया जावे एवं आयोजनकर्ता द्वारा सेनेटाईजर डिसपेंसर व थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जावें।
- कोविड–19 रोगियों के प्रबंधन के संबंध में राज्य स्तरीय तकनीकि सलाहकार समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर आधारित निर्देशों में कोविड–19 के लक्षणों में सूघने की क्षमता में कमी (Anosmia) तथा स्वाद क्षमता में कमी (Ageusia) को सम्मिलित

किया गया है एवं कोविड–19 के प्रबंधन हेतु नवीन औषधियां एवं Anti viral drug का तर्क संगत उपयोग भी किया जा सकता है।

- जिला स्तरीय कोविड केयर सेन्टर एवं क्वारंटाइन सेन्टर में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं क्वारंनटाइन सेन्टरर्स हेतु साफ–सफाई के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जावें।
- निजी लेब में कोविड–19 के सेम्पल टेस्ट करानें के लिए दर का निर्धारण सुनिश्चित किया जा चुका है। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कारप्रोशन लिमिटेड के माध्यम से निविदा बुलाकर दरों को पुनःरक्षित किया है, जिसमें 1 जुलाई 2020 के बाद से निजी लेब में कोविड–19 के टेस्ट करानें पर अब रूपये 1980 (उन्नीस सौ अस्सी) प्रति टेस्ट की दर निर्धारित की गई है। मेसर्स सुपराटेक्ट, माइक्रोपेथ लेबोरेटरी एंड रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड को जांच के लिए अनुबंधित किया गया है।
- कोविड–19 संक्रमण के परीक्षण हेतु पूल सर्विलेन्स सेम्पलिंग द्वारा पूल सेम्पलिंग किये जाने के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसका उददेश्य कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में सर्बिलेन्स कर सामुदाय में कोविड–19 के संक्रमण की स्थिति ज्ञात करना है जिसके लिए कन्टेनमेंट क्षेत्र के अलावा बफर क्षेत्रों से जहां पॉजिटिवीटी 5 प्रतिशत से कम है, में पूल सेम्पलिंग की जानी है।
- कोविड–19 की टेस्टींग के लिए ICMR द्वारा पुनःराक्षित दिशा–निर्देश जारी किए गए है, जिसमें शासन की गाइडलाइन एवं वार्णित चित्रमय उदाहरण के अनुसार कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं कोविड–19 के लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले संपर्क व्यक्तियों के सेम्पल लेना सुनिश्चित किया गया है।
- कोविड–19 के लिए रियल टाइम PCR सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित जांच है। RT-PCR जांच के लिए BSL-2 स्तरीय प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। जिसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है वर्तमान में ICMR द्वारा अधिक से अधिक जांच के लिए Rapid Point of Care (POC) Antigen Detection test kit को मान्य किया गया है। रेपिड एन्टीजन टेस्ट की जांच के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।
- कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव का प्रबंधन एवं निपटान संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए है। शव के प्रबंधन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा समस्त सावधानियां बर्ती जावे एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित व्यवहार का अनुपालन सवर्था किया जायें।

- कोविड–19 के संबंध में शासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों एवं पुनःरीक्षित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जावें।

प्रदेश में अनलॉक–2 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिस हेतु समय–समय पर कोविड–19 के संबंध में उपरोक्त दिशा–निर्देश भी जारी किए गये है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिलें में उक्त दिशा–निर्देशों का अनलॉक–2 की प्रक्रियाओं में अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. वीणा सिन्हा)
अपर संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./20/ भोपाल, दिनांक 13-08-2020

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अवर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, भोपाल।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, (आई.डी.एस.पी.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
6. क्षेत्रीय संचालक, समस्त संभाग, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
7. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
8. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

अपर संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.